[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, DATED THE 18.12.2013]

Government of India

Ministry of Finance

Department of Revenue

Notification

New Delhi, the 18th December, 2013.

(Income-tax)

S.O. ____(E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 80CCG of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

1. **Short title, commencement and application.** - (1) This Scheme may be called the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme, 2013.
   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
   (3) This Scheme shall apply for claiming deduction in the computation of total income of the assessment year relevant to a previous year beginning on or after the 1st day of April, 2013 on account of investment in eligible securities under sub-section (1) of section 80CCG of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961).

Ms Rekha
19/12/13

2. **Objective of the Scheme.**-The objective of the Scheme is to encourage investment of savings of small investors in the domestic capital market.
3. **Definitions.** - In this Scheme, unless the context otherwise requires,-

   (i) "Act" means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
   (ii) "demat account" means an account opened with the depository participant in accordance with the guidelines laid down by the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
   (iii) "depository" means a company as defined in clause (e) of sub-section (1) of section 2 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996);
   (iv) "depository participant" means a participant as defined in clause (g) of sub-section (1) of section 2 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996);
   (v) "eligible securities" means any of the following, namely :-
      (a) equity shares, on the day of purchase, falling in the list of equity declared as "BSE-100" or " CNX-100" by the Bombay Stock Exchange or the National Stock Exchange, as the case may be;
      (b) equity shares of public sector enterprises which are categorised as Maharatna, Navratna or Miniratna by the Central Government;
      (c) Units of Exchange Traded Funds or Mutual Fund schemes or equity oriented funds, which have eligible securities specified in sub-clause (a) or sub-clause (b) as underlying securities, provided they are listed and traded on a stock exchange and settled through a depository mechanism;
      (d) Follow on Public Offer of sub-clauses (a) and (b);
      (e) New Fund Offers of sub-clause (c);

(f) Initial Public Offer of a public sector undertaking wherein the Government shareholding is at least fifty-one per cent. which is scheduled for getting listed in the relevant previous year and whose annual turnover is not less than four thousand crore rupees during each of the preceding three years;

(vi) "financial year" means a year commencing on the 1st day of April and ending on the 31st day of March;

(vii) "Form" means the Form appended to the Scheme;

(viii) "initial year" means-

(a) the financial year in which the investor designates his demat account as Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme account and makes investment in the eligible securities for availing deduction under the Scheme; or

(b) the financial year in which the investor makes investment in eligible securities for availing deduction under the Scheme for the first time, if the investor does not make any investment in eligible securities in the financial year in which the account is so designated;

(ix) "investment" means investment by an assessee in any of the eligible securities in accordance with the Scheme;

(x) "new retail investor" means a resident individual,-

(a) who has not opened a demat account and has not made any transactions in the derivative segment before the date of opening of a demat account or the first day of the initial year, whichever is later:

Provided that an individual who is not the first account holder of an existing joint demat account shall be deemed to have not opened a demat account for the purposes of this Scheme; or

(b) who has opened a demat account but has not made any transactions in the equity segment or the derivative segment before the date he designates his existing demat account for the purpose of availing the benefit under the Scheme or the first day of the initial year, whichever is later;

(xi) "Scheme" means the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme;

(xii) words and expressions used and not defined in this Scheme but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. **Eligibility .-** The deduction under the Scheme shall be available to a new retail investor who complies with the conditions of the Scheme and whose gross total income for the financial year in which the investment is made under the Scheme is less than or equal to twelve lakh rupees.

5. **Opening or designating of demat account.-** A new retail investor shall -

(a) open a new demat account or designate his existing demat account for the purpose of availing the benefit under this Scheme;

(b) submit a declaration in Form A to the depository participant who shall forward the same to the depository for verifying the status of the new retail investor;

(c) furnish his permanent account number(PAN) while opening the demat account or designating the existing account as a Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme eligible account, as the case may be.

6. **Procedure for investment under the Scheme.** - A new retail investor shall make investments under the Scheme in the following manner, namely:-

(a) the new retail investor may invest in one or more financial years in a block of three consecutive financial years beginning with the initial year;

(b) the new retail investor may make investment in eligible securities in one or more than one transaction during any financial year during the three consecutive financial years beginning with the initial year in which the deduction has to be claimed;

(c) the new retail investor may make any amount of investment in the demat account but the amount eligible for deduction under the Scheme shall not exceed fifty thousand rupees in a financial year;

(d) the new retail investor shall be eligible for the tax benefit under the Scheme only for three consecutive financial years beginning with the initial year, in respect of the investment made in each financial year;

(e) if the new retail investor does not invest in any financial year following the initial year, he may invest in the subsequent financial year, within the three consecutive financial years beginning with the initial year, in accordance with the Scheme;

(f) the eligible securities brought into the demat account, as declared or designated by the new retail investor shall be under a lock-in for a period of three years in accordance with the provisions of paragraph 7;

(g) the eligible securities brought into the demat account, in respect of which the assessee is eligible for deduction under the Scheme, shall be under a fixed lock-in during the first year, as per the provisions of the paragraph 7, unless the new retail investor specifies otherwise, and for such specification, the new retail investor shall submit a declaration in Form B, either in electronic or physical form, to the depository participant indicating that such securities are not to be included within the above limit of investment;

(h) the new retail investor shall be eligible for a deduction under sub-section (1) of section 80CCG of the Act in respect of the actual amount invested in eligible securities and in respect of which a declaration in Form B has not been made, subject to the maximum investment limit of fifty thousand rupees in a financial year;

(i) the new retail investor who has claimed a deduction under sub- section (1) of section 80CCG of the Act in any assessment year shall not be allowed any deduction under the Scheme for the same investment for any other assessment year;

(j) the new retail investor shall be permitted a grace period of seven trading days from the end of the financial year so that the eligible securities purchased on the last trading day of the financial year also get credited in the demat account and such securities shall be deemed to have been acquired in the financial year itself;

(k) the new retail investor can make investments in securities other than the eligible securities covered under the Scheme and such investments shall not be subject to the conditions of the Scheme nor shall they be counted for availing the benefit under the Scheme;

(l) the deduction claimed shall be withdrawn if the lock-in period requirements of the investment are not complied with or any other condition of the Scheme is contravened by the new retail investor.

7. **Period of holding and other conditions.** - (1) The period of holding of eligible securities invested in each financial year shall be three years to be counted in the manner hereafter provided.

(2) The eligible securities shall be held for a period called the fixed lock-in period which shall commence from the date of purchase of such securities in the relevant financial year and end on the 31st day of March of the year immediately following the relevant financial year.

(3) The new retail investor shall not be permitted to sell, pledge or hypothecate any eligible security during the fixed lock-in period.

(4) The period of two years beginning immediately after the end of the fixed lock-in period shall be called the flexible lock-in period.

(5) The new retail investor shall be permitted to trade the eligible securities after the completion of the fixed lock-in period subject to the following conditions, namely:-

(a) the new retail investor shall ensure that the demat account under the Scheme is compliant for a cumulative period of a minimum of two hundred and seventy days during each of the two years of the flexible lock-in period as laid down hereunder:-.

(i) the value of the investment portfolio of the eligible securities referred to in sub-clauses (ii), (iii) and (iv) shall be exclusive of value of the investment portfolio of eligible securities which are in fixed lock-in for any financial year;

(ii) the demat account shall be considered compliant for the number of days for which the value of the investment portfolio of eligible securities, is equal to or higher than the corresponding investment claimed as eligible for the purposes of deduction under section 80CCG of the Act;

(iii) in case the value of investment portfolio in the demat account decreases due to decrease in the market rate of eligible securities, then, notwithstanding the provisions of sub- clause (ii), -

(A) the demat account shall be considered compliant from the first day of the flexible lock-in period to the day when any of the eligible securities are sold;

(B) where the assessee sells the eligible securities mentioned in sub-clause (ii) from his demat account, and purchases eligible securities, the said demat account shall be compliant from the day on which the value of the investment portfolio in the account becomes -

(I) equal to the corresponding investment claimed as eligible for deduction under section 80CCG of the Act; or

(II) equal to the value of the investment portfolio under the Scheme, before such sale,

whichever is less;

(iv) credit of eligible securities in the demat account exceeding the compliance requirement as per sub-clauses (ii) and (iii) shall be considered as fresh investment of the financial year in which the investment is made and shall be eligible for deduction in accordance with sub-section (1) of section 80CCG of the Act in that financial year;

(b) the balance of the investment portfolio of eligible securities in the demat account, at any point of time during the flexible lock-in period, shall not be less than the amount corresponding to the value of the securities in the fixed lock-in.

(6) The new retail investor's demat account created under the Scheme shall, on the expiry of the period of holding of the investment relevant to the last financial year for which the deduction has been claimed, be converted automatically into an ordinary demat account.

(7) For the purpose of valuation of investment during the flexible lock-in period, the closing price as on the previous day of the date of trading shall be considered.

(8) While making the initial investments upto fifty thousand rupees, the total cost of acquisition of eligible securities shall not include brokerage charges, securities transaction tax, stamp duty, service tax and any other tax, which may appear in the contract note.

(9) Where the investment of the new retail investor undergoes a change as a result of involuntary corporate actions including demerger of companies, amalgamation and such other actions, as may be notified under sub-paragraph (11), resulting in debit or credit of securities covered under the Scheme, the deduction claimed by such investor shall not be affected.

(10) In the case of voluntary corporate actions, including buy-back resulting only in debit of securities where new retail investor has the option to exercise his choice, the same shall be considered as a sale transaction for the purpose of the Scheme.

(11) The Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) shall notify the involuntary corporate actions referred to in sub-paragraph (9) for the purposes specified therein.

8. **Effect of failure to fulfil conditions. - (1)** If the new retail investor fails to fulfill any of the provisions of the Scheme, the deduction originally allowed to him under sub-section (1) of section 80CCG of the Act for any previous year, shall be deemed to be the income of the assessee of the previous year in which he fails to comply with the provisions of the Scheme and shall be liable to tax for the assessment year relevant to such previous year.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-paragraph(1), where the demat account is not in compliance with the conditions laid down in paragraph 7 in respect of flexible lock-in period, the deduction originally allowed to the investor under section 80CCG shall be liable to tax in the following manner, namely:-

(a) if the investment portfolio in flexible lock-in period corresponds to the investments made in only one assessment year, the deduction allowed to the investor under section 80CCG for such assessment year shall be liable to tax;

(b) if the investment portfolio in flexible lock-in period corresponds to the investment made in two assessment years, and--

(i) the value of investment portfolio of eligible securities in the demat account is equal to or more than the value of the investment portfolio of the eligible securities in respect of which the deduction was allowed for any one assessment year but is less than the aggregate value of the investment portfolio of the eligible securities in respect of which the deduction was allowed for the two assessment years for 270 days in the flexible lock-in period, the deduction allowed to the investor under section 80CCG for the other assessment year shall be liable to tax;

(ii) is not covered by sub-clause (i), the aggregate deduction allowed to the investor under section 80CCG for both the years shall be liable to tax.

Explanation.-It is hereby clarified that in the case where the value of the investment portfolio of eligible securities is more than the corresponding value of such securities in respect of which deduction has been claimed in either of the two financial years, the deduction corresponding to the financial year in which the value of investment portfolio of eligible securities is less, shall be liable to tax.

(3) Where the deduction in respect of any amount as referred to in sub-paragraphs (1) and (2) has been charged to tax, the value of the investment portfolio of eligible securities for the purposes of compliance under paragraph 7 for the remaining period of flexible lock-in shall be equal to or higher than the value of the eligible securities in respect of which the deduction was originally claimed as reduced by the value of eligible securities in respect of which the deduction has been charged to tax.

9. **Duties of Depository, etc.**-(1) The depository shall certify the new retail investor status of the assessee at the time of designating his demat account as demat account for the purpose of the Scheme.

(2) The depository participant shall furnish an annual statement of the eligible securities invested in or traded through the demat account to the demat account holder.

10. **Furnishing of consolidated statement. - (1)** For every financial year, the depository shall provide a consolidated statement of details in the electronic format, as specified in Form C, on all the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme beneficiaries to the Director General of

Income -tax (Systems) or any other person authorised by him, within a period of two months from the end of the relevant financial year.

(2) If the depository, having furnished a consolidated statement under sub-paragraph(1), discovers any omission or any wrong particulars therein, it may furnish a revised statement at any time on or before the 31st day of December of the financial year immediately following the financial year for which the consolidated statement has been furnished.

11. **Form for furnishing reports.** - For the purposes of paragraph 10, the Director General of Income-tax (Systems) shall determine the procedures, formats and standards for furnishing of the report in electronic format in Form C by the depositories.

12. **Savings.** - A new retail investor who has invested in accordance with the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme, 2012 shall continue to be governed by the provisions of that Scheme to the extent it is not in contravention of the provisions of this Scheme and such investor shall also be eligible for the benefit of investment made in accordance with this Scheme for the financial years 2013-14 and 2014-15.

13. **Assessee to submit records.** - Assessees shall be liable to submit the relevant records to the income-tax authorities for verification as and when required.

[Notification No.94 /2013 F. No. 142/35/2012 -TPL

Raman Chopra 18/12/13
(Raman Chopra)
Director (TPL-II)

Form A

[See paragraph 5(b)]

Declaration to be submitted by the investors to the depository participants for availing the benefits under the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme.

Name of the Investor:

(first holder)

Address of the investor:

PAN :

1. It is hereby certified that* ---

   (a) I do not have a demat account and I have not traded in any derivatives.
   (b) I have demat account No. ________________ in ___________________ depository participant but I have not traded in any equity shares or derivatives in this account.
   (c) I have a joint demat account No. ________________ in ___________________ depository participant but I am not the first account holder.

2. I hereby declare that I have read and understood all the terms and conditions of the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme.
3. It is hereby verified that I am an eligible new retail investor for availing the benefits under the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme.
4. I undertake to abide by all the requirements and fulfill all obligations under the Scheme, and will comply with all the terms and conditions of the Scheme.
5. I undertake to inform the Depository Participant when my gross total income exceeds twelve lakh rupees in any of the subsequent financial years for which the benefit under the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme is proposed to be availed of.
6. I understand that, in case I fail to comply with any condition specified in the Scheme, the benefits availed thereunder will be withdrawn and the tax shall be payable by me accordingly.

Signature of the Investor

Place:

Date:

* Tick which ever is appropriate.

Form B

[See paragraph 6(g) and (h)]

Declaration to be submitted by the new retail investors to the depository participants for not availing the benefits under the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme.

To

Depository participant

Address

Name of the Investor:

(first holder)

Address of the Investor:

PAN :

It is hereby informed that I have designated my demat account No. ________________ in ___________________ depository participant and following securities

(a)

(b)

(c)

(d)

credited in the aforesaid demat account on ____________ are not to be included as investment for the purpose of the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme.

Signature of the Investor:

Place:

Date:

Form C

[See paragraphs 10 and 11]

Annual report to be submitted by the depository to the Income-tax Department in Electronic Format before 31st May.

(For 80 CCG benefits of Financial Year.........)

Name	PAN	DEMAT A/c No.	Date of opening A/c or date of designating a/c as RGESS	Detail of investments						Compliance Status			
				Year 1		Year 2		Year 3					
				Amount invested and eligible for deduction in the first year #	Scrips under fixed lock-in during the relevant FY	Amount invested in the second year	Scrips under fixed lock-in during the relevant FY	Amount invested in the third year	Scrips under fixed lock-in during the relevant FY	Whether A/c eligible under the RGESS	Whether A/c compliant with RGESS in respect of fixed lock-in	Whether A/c compliant with RGESS in respect of 270 days period*	Amount chargeable to tax*

*The non-compliance, if any, is determined in accordance with paragraph 8 of the Scheme.
First year implies the financial year in which investments were made by the investor for the first time under section 80CCG.

[भारत के राजपत्र,असाधारण के भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 18.12.2013 को प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्तीय मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, तारीख 18 दिसम्बर, 2013

का.आ. (अ) - केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80गगछ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राजीव गांधी साधारण पूंजी बचत स्कीम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

(3) यह स्कीम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगछ की उपधारा (1) के अधीन पात्र प्रतिभूतियों में निवेश करने पर अप्रैल, 2013 के प्रथम दिन को अथवा उसके आरंभ होने वाले पूर्व वर्ष के संगत निर्धारण वर्ष की कुल आय की संगणना करने में कटौती का दावा करने के लिए लागू होगी।

2. स्कीम का उद्देश्य:- इस स्कीम का उद्देश्य घरेलू पूंजी बाजार में छोटे निवेशकों की बचतों के निवेश को प्रोत्साहित करना है।

3. परिभाषाएं :- इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(i) "अधिनियम " से आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) अभिप्रेत है;

(ii) "डीमैट खाता" से भारत के प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार भागीदारी निक्षेपागार में खोला गया खाता अभिप्रेत है;

(iii) "निक्षेपागार" से निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ड.) में यथा परिभाषित कम्पनी अभिप्रेत है;

(iv) "सहभागी निक्षेपगार" से निक्षेपगार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) में यथा परिभाषित कोई सहभागी अभिप्रेत है;

(v) "पात्र प्रतिभूतियां" से निम्नलिखित में से कोई एक अभिप्रेत है, अर्थात्:-

(क) साधारण शेयर, क्रय की जाने वाली तारीख को, यथास्थिति, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, "बीएसई-100" या "सीएनएक्स 100" के रूप में घोषित साधारण पूंजी की सूची के आने वाले साधारण शेयर है;

(ख) पब्लिक सेक्टर के उद्यमों जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के साधारण शेयर;

(ग) किसी शेयर बाज़ार में खरीद-फरोक्त की गई निधियों, या पारस्परिक निधि स्कीमों की यूनिटें जो पात्र प्रतिभूतियां हैं, जिन्हें निम्नस्थ प्रतिभूतियों के रूप में उप खंड (क) या उप खंड (ख) में विनिर्दिष्ट पात्र प्रतिभूतियां है, परंतु वे किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध की गई हों और जिनका निपटान निक्षेपागार की क्रियाविधि के द्वारा किया गया हो;

(घ) उपखंड (क) और (ख) के लोक प्रस्ताव पर अनुसरण करना;

(ङ) उपखंड (ग) के नए निधि प्रस्ताव;

(च) किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, जिसमें सरकार की अंशधारिता कम से कम इक्यावन प्रतिशत है, जो संगत पूर्व वर्ष में सूचीबद्ध होने के लिए अनुसूचित है और जिसका पूर्ववर्ती तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान वार्षिक व्यापारावृत (टर्न ओवर) चार हजार करोड़ रूपए से कम नहीं है, के आरंभिक लोक प्रस्ताव;

(vi) "वित्तीय वर्ष" से अप्रैल के प्रथम दिन को आरंभ और मार्च के 31वें दिन को समाप्त होने वाला कोई वर्ष अभिप्रेत है;

(vii) "प्ररूप" से स्कीम से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(viii) "प्रारंभिक वर्ष" से -

(क) वित्तीय वर्ष जिसमें निवेशक अपने डीमैट खाते को राजीव गांधी साधारण (साधारण पूंजी) बचत स्कीम के रूप में अभिहित करता है और स्कीम के अधीन कटौती का लाभ उठाने के लिए पात्र प्रतिभूतियों में निवेश करता है; या

(ख) वित्तीय वर्ष जिसमें निवेशक स्कीम के अधीन कटौती का लाभ पहली बार उठाने के लिए पात्र प्रतिभूतियों में निवेश करता है, यदि निवेशक उस

वित्तीय वर्ष में, जिसमें खाते को इस तरह से अभिहित किया गया है, पात्र प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं करता है;

अभिप्रेत है;

(ix) "निवेश" से किसी निर्धारिती द्वारा स्कीम के अनुसार किसी भी पात्र प्रतिभूति में किया गया निवेश अभिप्रेत है;

(x) "नए फुटकर निवेशक" से, कोई निवासी व्यष्टि,-

(क) जिसने कोई डीमैट खाता नहीं खोला है और जिसने डीमैट खाता खोलने की तारीख से पूर्व या प्रारंभिक वर्ष के प्रथम दिन से पूर्व, जो भी बाद में हो, व्युत्पन्न खण्ड में कोई संव्यवहार नहीं किया है:

परन्तु कोई व्यष्टि, जो किसी विद्यमान संयुक्त डीमैट खाते का प्रथम खाताधारी नहीं है, को यह समझा जाएगा कि उसने इस स्कीम के प्रयोजन के लिए कोई डीमैट खाता नहीं खोला है; या

(ख) जिस व्यक्ति ने कोई डीमैट खाता खोला है, किन्तु उसने स्कीम के अधीन लाभ उठाने के प्रयोजन के लिए अपने विद्यमान डीमैट खाते को अभिहित करने की तारीख से पूर्व या प्रारंभिक वर्ष के प्रथम दिन से पूर्व, जो भी बाद में हो, साधारण पूंजी खण्ड में या व्युत्पन्न खण्ड में कोई संव्यवहार नहीं किया है;

अभिप्रेत है;

(xi) "स्कीम" से राजीव गांधी साधारण पूंजी बचत स्कीम अभिप्रेत है;

(xii) उन शब्दों और पदों के, जो इस स्कीम में प्रयुक्त है, परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होगें जो अधिनियम में हैं।

4. पात्रता:- स्कीम के अधीन कटौती किसी नए फुटकर निवेशक की उपलब्ध होगी जो स्कीम की शर्तों का अनुपालन करता है जिसकी उस वित्तीय वर्ष के लिए सकल कुल आय, जिसमें स्कीम के अधीन निवेश किया जाता है, 12 लाख रूपये से कम है या समतुल्य है।

5. डीमैट खाता खोलना या अभिहित करना:- कोई नया फुटकर निवेशक -

(क) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी नए डीमैट खाते को खोल सकेगा या विद्यमान डीमैट खाते को अभिहित करेगा;

(ख) सहभागी निक्षेपागार को प्ररूप क में घोषणा प्रस्तुत करेगा जो उसे नए फुटकर निवेशक की प्रास्थिति को सत्यापित करने के लिए निक्षेपागार को भेजेगा ;

(ग) यथास्थिति, डीमैट खाता खोलते समय अथवा विद्यमान खाते को राजीव गांधी प्रतिभूति बचत स्कीम पात्र खाते के रूप में पुन:नामकरण करते हुए, अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करेगा।

6. स्कीम के अधीन निवेश के लिए प्रक्रिया-

नया फुटकर निवेशक निम्न प्रकार से इस स्कीम के अधीन निवेश करेगा, अर्थात्:-

(क) नया फुटकर निवेशक प्रारंभिक वर्ष से प्रारंभ करते हुए तीन निरंतर वित्तीय वर्षों के एक खंड में एक अथवा अधिक वित्तीय वर्ष में निवेश कर सकता है;

(ख) नया फुटकर निवेशक उस आरंभिक वित्तीय वर्ष से प्रारंभ करते हुए जिसमें कटौती का दावा किया गया है तीन निरंतर वित्तीय वर्षों के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक पात्र प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है;

(ग) नया फुटकर निवेशक डीमैट खाते में कितनी भी राशि निवेशित कर सकता है परन्तु इस स्कीम के अधीन किसी वित्तीय वर्ष में कटौती के लिए पात्र धन राशि पचास हजार रूपए से अधिक नहीं होगी;

(घ) नया फुटकर निवेशक, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किए गए निवेश के संबंध में प्रारंभिक वर्ष से प्रारंभ करते हुए तीन निरंतर वित्तीय वर्षों के लिए ही इस स्कीम के अधीन कर लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा;

(ङ) इस स्कीम के अनुसार यदि नया फुटकर निवेशक प्रारंभिक वर्ष के बाद अगले किसी वित्तीय वर्ष में निवेश नहीं करता है तो वह प्रारंभिक वर्ष से प्रारंभ करते

हुए तीन निरंतर वित्तीय वर्षों के भीतर अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में निवेश कर सकता है;

(च) डीमैट खाते में लाई गई पात्र प्रतिभूतियां, जैसा कि नए फुटकर निवेशक द्वारा घोषित या अभिहित किया गया है, पैरा 7 के उपबंधों के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए परिबंधन के अधीन होगी;

(छ) डीमैट खाते में लाई गई ऐसी पात्र प्रतिभूतियां, जिनके संबंध में, कर निर्धारिती इस स्कीम के अधीन कटौती का पात्र है, पैरा 7 के उपबंधों के अनुसार पहले वर्ष के दौरान नियत परिबंधन के अधीन होगी जब तक कि नया फुटकर निवेशक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं करता तथा ऐसे विनिर्देश के लिए नया निवेशक सहभागी निक्षेपागार को प्ररूप ख में इलैक्ट्रोनिकी रूप में अथवा भौतिक रूप में यह निर्दिष्ट करते हुए एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि ऐसी प्रतिभूतियों को निवेश की उपर्युक्त सीमा में सम्मिलित नहीं किया जाए;

(ज) किसी वित्तीय वर्ष में पचास हजार रूपए की राशि की अधिकतम निवेश सीमा के अधीन नया फुटकर निवेशक पात्र ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश की गई वास्तविक राशि के संबंध में अधिनियम की धारा 80गगछ की उपधारा (1) के अधीन कटौती के लिए पात्र होगा जिसके संबंध में प्ररूत्र ख में घोषणा नहीं की गई है;

(झ) ऐसा नया फुटकर निवेशक जिसने किसी कर-निर्धारण वर्ष में अधिनियम की धारा 80गगछ की उपधारा (1) के अधीन कटौती का दावा किया है उसे इस स्कीम के अधीन उसी निवेश के लिए किसी अन्य निर्धारण वर्ष में कटौती की अनुज्ञात नहीं होगी;

(ञ) नए फुटकर निवेशक को किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से सात व्यापारिक दिनों की किसी अनुग्रह अवधि की अनुज्ञा दी जाएगी ताकि किसी वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापारिक दिन को खरीदी गई पात्र प्रतिभूतियां भी उसके डीमैट खाते में जमा हो सके तथा ऐसी प्रतिभूतियों को उसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया माना जाएगा;

(ट) नया फुटकर निवेशक इस स्कीम के अधीन सम्मिलित प्रतिभूतियों से भिन्न अन्य प्रतिभूतियों में भी निवेश कर सके और ऐसा निवेश इस स्कीम की शर्तों के

अधीन नहीं होगा और न ही उसे इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए गणना मे लिया जाएगा;

(ठ) यदि निवेश की परिबंधन अवधि अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया जाता अथवा नए फुटकर निवेशक द्वारा इस स्कीम की अन्य किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो दावा की गई कटौती को वापस करना होगा;

7. नियंत्रण की अवधि तथा अन्य शर्तें - (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पात्र प्रतिभूतियों के नियंत्रण की अवधि नीचे दी गई रीति में तीन वर्ष की गणना में होगी।

(2) पात्र प्रतिभूतियां ऐसी अवधि जिसे नियत परिबंधन अवधि कहा जाएगा के लिए नियमित होगी जिसे किसी सुसंगत वित्तीय वर्ष में ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद की तारीख से आरंभ होगी तथा तत्काल आगामी सुसंगत वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होगी।

(3) नए फुटकर निवेशक को नियत परिबंधन अवधि के दौरान किसी पात्र प्रतिभूति को बेचने, गिरवी रखने अथवा आड़मान करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(4) नियत परिबंधन अवधि के तत्काल बाद प्रारंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि को नमनीय परिबंधन अवधि कहा जाएगा ।

(5) नए फुटकर निवेशक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत परिबंधन अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् पात्र प्रतिभूतियों का व्यापार करने की अनुज्ञा होगी, अर्थात्:-

(क) नया फुटकर निवेशक यह सुनिश्चित करेगा कि स्कीम के अधीन डीमैट खाता नीचे अधिकथित रूप से नमनीय परिबंधन अवधि के दो वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में दो सौ तथा सत्तर दिनों की न्यूनतम संचित अवधि का अनुपालन करता है:-

(i) उपखण्ड (ii), उपखण्ड (iii) तथा उपखण्ड (iv) में निर्दिष्ट पात्र प्रतिभूतियों के निवेश पोर्टफोलियो के मूल्य से किसी वित्तीय वर्ष के लिए नियत परिबंधन में पात्र प्रतिभूतियों के निवेशित पोर्टफोलियों के मूल्य से अनन्य होगी ;

(ii) डीमैट खाते को उन दिनों की संख्या के लिए अनुपालन करने वाला समझा जाएगा जिनमें अधिनियम की धारा 80गगछ के अधीन कटौती के प्रयोजन के लिए पात्र के रूप

में तत्स्थानी दावा किए गए पात्र निवेशक की राशि, पात्र प्रतिभूतियों के निवेशित पोर्टफोलियो के मूल्य के बराबर अथवा अधिक हो;

(iii) यदि पात्र प्रतिभूति की बाजार दर में गिरावट के कारण डीमैट खाते में होने वाले निवेश पोर्टफोलियो का मूल्य कम हो जाता है, तो उप-खण्ड (ii) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, -

(अ) डी-मैट खाते को नमनीय परिबंधन अवधि के पहले दिन से लेकर उस दिन तक जब किसी भी पात्र प्रतिभूति विक्रय होता है अनुपालन में विचारणीय होगा;

(आ) जहां निर्धारिती अपने डी-मैट खाते से उप खण्ड (ii) में उल्लिखित पात्र प्रतिभूतियों का विक्रय और पात्र प्रतिभूतियों का क्रय करता है वहां उक्त डी-मैट खाता उस दिन से अनुपालन होगा जिस दिन खाते में विनिधान पोर्टफोलियो का मूल्य -

(1) अधिनियम की धारा 80गगछ के अधीन कटौती के लिए पात्र के रूप में दावा किए गए तत्स्थानी विनिधान के समतुल्य हो जाएगा; अथवा

(2) ऐसे विक्रय से पूर्व, स्कीम के अधीन विनिधान पोर्टफोलियो के मूल्य के समतुल्य हो जाएगा,

जो भी कम हो;

(iv) डी-मैट खाते में पात्र प्रतिभूतियों के जमा उपखण्ड (ii) और उपखण्ड (iii) के अनुसार अपेक्षित अनुपालन से अधिक होने पर उसे विनिधान किए गए वित्तीय वर्ष में नए विनिधान के रूप में विचार में लिया जाएगा और उस वित्तीय वर्ष में अधिनियम की धारा 80 गगछ की उपधारा (1) के अनुसार कटौती के लिए पात्र समझा जाएगा;

(ख) नमनीय परिबंधन अवधि के दौरान किसी भी समय पर, डी-मैट खाते में पात्र प्रतिभूतियों का विनिधान पोर्टफोलियो की अतिशेष, नियत परिबंधन अवधि में प्रतिभूतियों के मूल्य से संबंधित राशि से कम नहीं होगी ।

(6) स्कीम के अधीन नए फुटकर विनिधानकर्ता द्वारा सृजित किया गया डी-मैट खाता, कटौती का दावा किए जाने वाले अंतिम वित्तीय वर्ष पर संबंधित विनिवेश की नियंत्रण की अवधि की तारीख की समाप्ति पर, स्वत: ही एक सामान्य डी-मैट खाते में परिवर्तित हो जाएगा।

(7) नमनीय परिबंधन अवधि के दौरान विनिधान के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए व्यापार की तारीख के पूर्व दिवस पर अंतिम मूल्य के रूप में विचार में ली जाएगी।

(8) यद्यपि, पचास हजार रूपए तक का आरंभिक विनिधान करते समय, पात्र प्रतिभूतियों के अर्जन की कुल लागत में दलाली प्रभार, प्रतिभूति संव्यवहार कर, स्टाम्प शुल्क, सेवा कर तथा कोई अन्य कर जो संविदा टिप्पण में आए हैं, सम्मिलित नहीं होंगे।

(9) जहां किसी नए फुटकर विनिधानकर्ता के विनिधान में कंपनी के अस्वैच्छिक निगमित कार्रवाई जिसके अंतर्गत कंपनियों का डीमर्जर, समामेलन और ऐसी कार्रवाई भी है, जो उप-पैरा (11) के अधीन अधिसूचित की जाए, के परिणामस्वरूप कोई परिवर्तन आता है जिसके फलस्वरूप स्कीम के अधीन आने वाली प्रतिभूतियों के नामे या जमा से ऐसे विनिधानकर्ता द्वारा दावा की गई कटौती पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

(10) कंपनियों की स्वैच्छिक कार्रवाइयों की दशा में, जिसके अंतर्गत क्रय द्वारा वापस लेना भी है जिसके फलस्वरूप प्रतिभूतियों को नामे डाला जाता है, जहां नए फुटकर विनिधानकर्ता के पास अपने विकल्प का प्रयोग करने का अवसर होता है वहां उसे स्कीम के प्रयोजन के लिए किसी विक्रय संव्यवहार के रूप में उसी के समान माना जाएगा।

(11) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उप-पैरा (9) में उल्लिखित कंपनी के अस्वैच्छिक कार्रवाइयों को अधिसूचित करेगा।

8. **शर्तों को पूरा करने में असफल रहने का प्रभाव - (1)** यदि नया फुटकर विनिधानकर्ता स्कीम के किसी उपबंध को पूरा करने में असफल रहता है तो अधिनियम की धारा 80गगछ की उपधारा (1) के अधीन किसी पूर्व वर्ष के लिए उसे मूल रूप से अनुज्ञात कटौती को उस पूर्व वर्ष में निर्धारिती की आय मानी जाएगी जिस वर्ष वह स्कीम के उपबंधों की अनुपालन में असफल रहता है और ऐसे पूर्व वर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए कर का दायी होगा।

(2) उप-पैरा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी डीमैट खाते का नमनीय परिबंधन अवधि के संबंध में पैरा 7 में उल्लिखित धारा 80गगछ के अधीन विनिधानकर्ता को मूल रूप से अनुज्ञात कटौती निम्नलिखित रीति से कर की देनदारी होगी, अर्थात्:-

(क) यदि नमनीय परिबंधन अवधि में विनिधान पोर्टफोलियो केवल एक निर्धारण वर्ष में किए गए विनिधान के तत्समान होगा तो विनिधानकर्ता को ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए धारा 80गगछ के अधीन में अनुज्ञात कटौती कर का दायी होगा ;

(ख) यदि नमनीय परिबंधन अवधि में विनिधान पोर्टफोलियो दो निर्धारण वर्षों में किए गए विनिधान के तत्समान होता है, और

(i) डी-मैट खाते की पात्र प्रतिभूतियों के विनिधान पोर्टफोलियो का मूल्य उन पात्र प्रतिभूतियों के विनिधान पोर्टफोलियो के मूल्य के बराबर अथवा अधिक हो जिनके संबंध में किसी एक निर्धारण वर्ष के लिए कटौती अनुज्ञात की गयी है किन्तु उन पात्र प्रतिभूतियों के विनिधान पोर्टफोलियो के कुल मूल्य से कम होता है जिनके संबंध में कटौती नमनीय परिबंधन अवधि में दो निर्धारण वर्षों के लिए 270 दिनों के लिए अनुज्ञात की गयी है तो धारा 80गगछ के अधीन विनिधानकर्ता को दूसरे निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात किए गए कर कटौती का दायी होगा ;

(ii) उपखण्ड (i) के अंतर्गत नहीं आने वाले, विनिधानकर्ता को धारा 80गगछ के अधीन दोनों वर्षों के लिए अनुज्ञात की गई कुल कर कटौती का दायी होगा ।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामले में जहां पात्र प्रतिभूतियों के विनिधान पोर्टफोलियो का मूल्य ऐसी प्रतिभूतियों के संबंधित मूल्य से जिनके संबंध में दोनों में से किसी वित्तीय वर्ष में कटौती का दावा किया गया हो, अधिक होता है तो उस वित्तीय वर्ष से संबंधित कटौती, जिसमें पात्र प्रतिभूतियों का विनिधान पोर्टफोलियो का मूल्य कम होता है, कर का दायी होगा ।

(3) जहां उपपैरा (1) और उपपैरा (2) में यथानिर्दिष्ट किसी रकम के संबंध में कटौती पर कर प्रभार्य है वहां नमनीय परिबंधन अवधि की शेष अवधि के लिए पैरा 7 के अधीन अनुपालन के प्रयोजन के लिए पात्र प्रतिभूतियों का विनिधान पोर्टफोलियो का मूल्य उन पात्र प्रतिभूतियों के मूल्य के तत्समान अथवा अधिक होगा जिनके संबंध में कटौती मूल रूप से उन पात्र प्रतिभूतियों के मूल्य द्वारा कम किए गए अनुसार दावा की गई जिनके संबंध में कटौती पर कर लगाया गया है।

9. **निक्षेपागार के कर्तव्य, आदि.-** (1) निक्षेपागार, स्कीम के प्रयोजन के लिए निर्धारिती के डीमैट खाते को डीमैट खाते के रूप में अभिहित करते समय निर्धारिती को नए फुटकर निवेशक की प्रास्थिति को प्रमाणित करेगा।

(2) सहभागी निक्षेपागार डीमैट खाता धारकों को डीमैट खाते में अथवा उसके माध्यम से निवेश किए गए पात्र प्रतिभूतियों का एक वार्षिक विवरण देगा।

10. **समेकित विवरण का प्रस्तुतीकरण.-** (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, निक्षेपागार सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो मास की अवधि के भीतर, महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) या

उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सभी राजीव गांधी साधारण पूंजी बचत स्कीम लाभार्थियों के बारे में प्ररूप ग में यथा विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में ब्यौरों की समेकित विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) यदि निक्षेपागार, उप-पैरा (1) के अधीन किसी समेकित विवरणी को प्रस्तुत करते हुए उसमें किसी लोप या कोई गलत विशिष्टियों का पता चलता है तो वह जिस वित्तीय वर्ष के लिए समेकित विवरणी को प्रस्तुत किया गया है उसके तत्काल आगामी वित्तीय वर्ष की 31 दिसम्बर को या उससे पूर्व किसी समय एक संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

11. रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप.- पैरा 10 के प्रयोजन के लिए, महानिदेशक आयकर (प्रणाली) निक्षेपागार द्वारा प्ररूप ग में इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान में रिपोर्ट के प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, रूपविधानों और मानकों को अवधारित करेगा ।

12. बचत.- कोई नया फुटकर निवेशक, जिसने राजीव गांधी साधारण पूंजी बचत स्कीम, 2012 के अनुसरण में निवेश किया है, वह इस स्कीम के उपबंधों के उल्लंघन न होने की सीमा तक उक्त स्कीम के उपबंधों द्वारा शासित होगा और ऐसा निवेशक वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए इस स्कीम के अनुसार किए गए निवेश के लाभ के लिए पात्र भी होगा।

13. निर्धारिती द्वारा जमा किए जाने वाले अभिलेख.- निर्धारिती, जब भी आवश्यक हो सत्यापन के लिए आयकर प्राधिकारियों को सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए दायी होगा।

[अधिसूचना संख्या ९५ /2013 फा. सं. 142/35/2012-टीपीएल]

र० चोपड़ा 18/12/13

(रमण चोपड़ा)

निदेशक (टीपीएल-II)

प्ररूप क

[पैराग्राफ 5(ख) देखें]

राजीव गांधी साधारण पूंजी बचत स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए निवेशकों द्वारा निक्षेपागार सहभागी निक्षेपागार को प्रस्तुत किए जाने के लिए घोषणा-पत्र

निवेशक का नाम:

(प्रथम धारक)

निवेशक का पता:

पैन:

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि* ---

   (क) मेरे पास कोई डीमैट खाता नहीं है और मैंने किसी व्युत्पन्नों में व्यापार नहीं किया है

   (ख) मेरे पास .... सहभागी निक्षेपागार में डीमैट खाता संख्या .... है किन्तु मैंने इस खाते में किसी साधारण पूंजी शेयर अथवा व्युत्पन्नों में व्यापार नहीं किया है

   (ग) मेरे पास .... सहभागी निक्षेपागार में संयुक्त डीमैट खाता संख्या .... है किन्तु मैं प्रथम खाता धारक नहीं हूँ।

2. मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने राजीव गांधी साधारण पूंजी बचत स्कीम के सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है।
3. यह सत्यापित किया जाता है मैं राजीव गांधी साधारण पूंजी बचत स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए एक पात्र नया फुटकर निवेशक हूँ।
4. मैं स्कीम के अधीन सभी अपेक्षाओं का पालन करने और सभी दायित्वों को पूरा करने का वचन देता हूँ और स्कीम के सभी नियमों और शर्तों का पालन करूंगा।
5. मैं सहभागी निक्षेपागार को सूचित करने का वचन देता हूँ जब किसी उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों, जिसके लिए राजीव गांधी साधारण पूंजी बचत स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है, में मेरी सकल कुल आय बारह लाख रूपए से अधिक हो जाती है।
6. मैं जानता हूँ कि, यदि मैं स्कीम में निर्दिष्ट किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता हूँ तो इस आधार पर प्राप्त लाभ वापस ले लिए जाएंगे और तदनुसार मेरे द्वारा कर देय होगा।

निवेशक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख :

* जो भी सुसंगत हो उस पर सही का निशान लगाएं।

प्ररूप ख

[पैरा 6(छ) और (ज) देखें]

राजीव गांधी साधारण पूंजी बचत स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त न करने के लिए नये फुटकर निवेशकों द्वारा सहभागी निक्षेपागार को प्रस्तुत किए जाने के लिए घोषणा-पत्र

सेवा में
सहभागी निक्षेपागार
पता

निवेशक का नाम:
(प्रथम धारक)
निवेशक का पता:
पैन:

यह सूचित किया जाता है कि मैंने .... सहभागी निक्षेपागार में .... मेरा डीमैट खाता संख्या निर्दिष्ट किया है तथा .... को उपरोक्त डीमैट खाते में जमा निम्नलिखित प्रतिभूतियों

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

को राजीव गांधी साधारण पूंजी बचत स्कीम के प्रयोजन के लिए निवेश के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाना है।

निवेशक के हस्ताक्षर
स्थान:
तारीख:

प्ररूप ग

[पैरा 10 और 11 देखें]

निक्षेपागार द्वारा 31 मई से पूर्व आयकर विभाग को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किए जाने के लिए वार्षिक रिपोर्ट

(...................वित्तीय वर्ष के 80गगछ लाभों के लिए)

नाम	पैन	डीमैट खाता सं.	खाता खोलने अथवा रागासापूबस्की के रूप में खाते को निर्दिष्ट करने की तारीख	निवेशों का विवरण						अनुपालन की स्थिति			
				वर्ष 1		वर्ष 2		वर्ष 3					
				प्रथम वर्ष में निवेश की गई और कटौती के लिए पात्र राशि#	सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान नियत परिबंधन के अधीन शेयर	द्वितीय वर्ष में निवेश की गई राशि	सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान नियत परिबंधन के अधीन शेयर	तृतीय वर्ष में निवेश की गई राशि	सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान नियत परिबंधन के अधीन शेयर	खाता रागासापूबस्की के अधीन पात्र है अथवा नहीं	खाता नियत परिबंधन के संबंध में रागासापूबस्की के अनुरूप है अथवा नहीं	खाता 270 दिनों की अवधि के संबंध में रागासापूबस्की के अनुरूप है अथवा नहीं*	कर प्रभार्य राशि*

*गैर-अनुपालन, यदि कोई है तो उसे स्कीम के पैरा 8 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

#प्रथम वर्ष का तात्पर्य उस वित्तीय वर्ष से है जिसमें निवेशक द्वारा धारा 80गगछ के अधीन पहली बार निवेश किया गया।